भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3010

(08 अगस्त, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए)

डीडीयूजीकेवाई के अंतर्गत प्रशिक्षण बीच में छोड़ने की दर

3010. श्री प्रद्युत बोरदोलोई:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान असम में दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) के तहत प्रशिक्षित और रोजगार प्राप्त युवाओं की लिंग-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या यह सच है कि योजना की शुरुआत के बाद से उत्तर पूर्वी राज्यों में प्रशिक्षित युवाओं की रोजगार दर 50 प्रतिशत से कम है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसमें सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार ने प्रशिक्षुओं द्वारा योजना बीच में छोड़ने के कारणों का विश्लेषण किया है और यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) पाठ्यक्रम और प्रदान किए गए कौशल तथा पाठ्यक्रम चयन हेतु निर्णय लेने की प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है और क्या वे उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क): पिछले पांच वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान असम में दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) के अंतर्गत प्रशिक्षित और रोजगार प्राप्त युवाओं की लिंग-वार संख्या निम्नानुसार है-

वर्ष	कुल प्रशिक्षित	कुल रोजगार प्राप्त युवा	प्रशिक्षित महिलाएं	रोजगार प्राप्त महिलाएं
2018-19	16725	7397	7781	3169
2019-20	11993	13862	6379	5747
2020-21	1966	3296	1494	1798
2021-22	3553	916	2666	681
2022-23	11864	5563	8490	4345

(ख) और (ग): जी, नहीं। इस योजना की शुरुआत से पूर्वोत्तर राज्यों में प्रशिक्षित युवाओं को प्राप्त रोजगार का प्रतिशत 53.6 (जो 50 प्रतिशत से अधिक है) है।

(घ): आज की तारीख के अनुसार , डीडीयू-जीकेवाई में प्रशिक्षण बीच में छोड़ने की दर केवल 6 प्रतिशत से कम है हालांकि प्रशिक्षण बीच में छोड़ने के कारणों को जानने के लिए अभी तक कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

(ङ): डीडीयू-जीकेवाई के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले सभी पाठ्यक्रम राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) , कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) की राष्ट्रीय कौशल योग्यता समिति (एनएसक्यूसी) द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं। पाठ्यक्रम का चयन परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए) द्वारा प्रशिक्षण के बाद रोजगार की संभावना के आधार पर किया जाता है।

*****